कार्यालय आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

विज्ञप्ति

(परामर्शी (व्यक्ति/फर्म) श्रेणी–II पद हेतु)

कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ संचालित किये जाने हेतु तकनीकी पहलुओं के संबंध में उचित सलाह, मार्गदर्शन एवं योजना की मॉनीटरिंग हेतु मानदेय के आधार पर गैर–सरकारी स्वरूप की नियुक्ति संविदा पर एक निश्चित अवधि (02 वर्ष) के लिये परामर्शी (व्यक्ति/फर्म) श्रेणी–II की सेवायें लिये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र.	पद	पद संख्या	योग्यता
1.	परामर्शी (व्यक्ति/फर्म) श्रेणी–II	01	I शैक्षणिक योग्यता – डिप्लोमा/स्नातक– प्रथम श्रेणी ii. रोजगार/ स्वरोजगार से संबंधित शासकीय विभागों में कार्य करने का न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव। iii आयु सीमा–न्यूनतम 50 वर्ष एवं अधिकतम – 70 वर्ष। vi. यदि आवेदक सेवा निवृत्त शासकीय कर्मी है तो उसे न्यूनतम द्वितीय श्रेणी का शासकीय सेवक होना अनिवार्य है। vii. किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/विश्वविद्यालय /सार्वजनिक उपक्रम में परामर्शी का कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक/आवेदक संस्था को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

1.परामर्शी/परामर्शी संस्था के चयन हेतु समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति के शेष नियम एवं शर्तो की जानकारी हेतु विभागीय पोर्टल bcwelfare@mp.nic.in पर प्रकाशित RFP (Requst For Praposal) का अवलोकन आवेदक करेंगें।

2. आवेदक को परामर्शी/परामर्शी संस्था के आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के दो लिफाफे पृथक–पृथक तैयार कर निर्धारित आवेदन शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन की अंतिम दिनांक तक नियत समय से पूर्व आर.एफ.पी. जारी कर्ता कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य होगा।

3. विलम्ब से प्राप्त अपूर्ण, कांट–छांट अवस्था में प्रस्तुत आवेदन कार्यालय द्वारा मान्य नहीं किये जायेगें।

वि.क.अ.सह आयुक्त
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-I

परामर्शदाता के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध

(Request for proposal for selection of consultant)

(चयन पद्धति – गुणवत्ता एवं मूल्य अर्धारित चयन)

RFP Ref No. 01/establishment/Const./2024-25

Date ...../10/2024

आयुक्त

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म.प्र. भोपाल

(म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

दूरभाष क्रमांक 0755 2551517, 2551514

ई–मेल आई डी. bcbpl@nic.in

(1) परिचय :– म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के समग्र विकास को दृष्टिगत् रखते हुऐ पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गई है। म.प्र. शासन द्वारा विभाग के माध्यम से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग समूह के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामजिक विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाऍं संचालित की जा रही है। इन वर्गों के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजनाऍं एवं स्वरोजगार की योजनाऍं भी संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के विभिन्न तकनीकी पहलुओं के संबंध में उचित सलह एवं मार्गदर्शन प्रदान करने एवं योजना की मॉनीटरिंग हेतु विभाग को एक अनुभवी परामर्शदाता की सेवाओं की आवश्यकता है। इस आर.एफ.पी. के माध्यम से विभाग द्वारा एक अनुभवी परामर्शदाता के चयन की प्रकिया पूर्ण की जाएगी।

(2) प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रकिया :– परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जाएगा एवं विस्तृत **Request for proposal** का प्रकाशन विभागीय पोर्टल पर कराया जाएगा। आर.एफ.पी. में उल्लेखित शर्तों एवं दिये गये निर्देशों के अधीन पात्र योग्य एवं अनुभवी परामर्शदाता व्यक्ति/संस्था से टू–बिड प्रणाली से ऑफ लाईन आवेदन प्राप्त किये जाएंगे, पहली बिड तकनीकी होगी जबकि द्वितीय बिड वित्तीय होगी। आर.एफ.पी. में उल्लेखित चयन के मापदण्ड पूर्ण करने वाले परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था के प्रस्तावों का मूल्यांकन शासन स्तर से इस हेतु गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा एवं तकनीकी बिड में पात्र पाये गये परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था की वित्तीय बिड सक्षम समिति द्वारा खोली जाएगी एवं वित्तीय बिड खोले जाने हेतु पात्र सभी परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था का साक्षात्कार इस हेतु शासन स्तर से गठित साधिकार समिति द्वारा लिया जाएगा। परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों का नूल्यांकन गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित पद्धति से किया जाएगा। ऐसे आवेदक जो तकनीकी रूप से पात्रता मापदण्डों को पूर्ण नहीं करेंगे उनके वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले जाएंगे। विभाग द्वारा विभागीय योजना की कार्य आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए योग्य परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था का चयन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा एवं चयन के सर्वाधिकार विभाग के पास सुरक्षित होंगे। चयन समिति का निर्णय सभी पक्षों को मान्य होना अनिवार्य होगा।

(3) परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था के चयन के उद्देश्य :– विभाग द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था की सेवाऍं ली जाना प्रस्तावित है।

i. विभाग अंतर्गत संचालित राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से संचालित की जाने वाली विभिन्न रोजगारोन्मुखी कोचिंग प्रशिक्षण योजना, अन्य प्रशिक्षण योजनाओं का म.प्र. शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं नियम प्रावधानों के अंतर्गत संचालन कियान्वय एवं मॉनीटरिंग हेतु सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

ii. विभाग अंतर्गत संचालित म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के माध्यम से संचालित की जाने वाली विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का म.प्र. शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं नियम प्रावधानों के अंतर्गत संचालन कियान्वय एवं मॉनीटरिंग हेतु सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

iii. प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक कल्याण हेतु रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित नवीन, व्यवहारिक एवं उपयोगी योजनाऍं तैयार करने में सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

iv. विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित स्वरोजगार योजनाओं का अधिकतम लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए उचित सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

v. विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजनाओं का अधिकतम लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए उचित सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
vi. विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार, स्वरोजगार एवं वित्तीय सहायता योजनाओं का निर्धारित प्रकिया अनुसार मूल्यांकन किये जाने में उचित सलाह एवं मार्गदर्शन देना।

(4) परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था के अपेक्षित कार्य :– विभाग को चयनित परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था से निम्न कार्य अपेक्षित है –
i. रोजगार/स्वरोजगार से संबंधित नवीन योजनाओं के सृजन में सलाह एवं परामर्श।
ii. वर्तमान में संचालित विभागीय रोजगार/स्वरोजगार योजनाओं को ओर अधिक प्रभावी बनाये जाने हेत सलाह एवं परामर्श।
iii. शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियम एवं निर्देशों के अंतर्गत वर्तमान में संचालित विभागीय रोजगार/स्वरोजगार योजनाओं का कियान्वयन किये जाने हेतु सलाह एवं परामर्श।
iv. विभिन्न रोजगार/स्वरोजगार योजना अंतर्गत विभिन्न तकनीकी पहलुओं के समाधान हेतु सलाह एवं परामर्श देना।
v. विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार/स्वरोजगार योजनाओं की मॉनीटरिंग एवं फिडबेक हेतु कार्य पद्धति तैयार करने में सलाह एवं परामर्श देना।

(5) कार्य के स्वरूप, विशिष्टता एवं जटिलता के आधार पर विज्ञापित पद का नाम :–
परामर्शी (व्यक्ति/फर्म) श्रेणी–II

(6) अवधि :– 02 वर्ष
विभाग की आवश्यकता के अनुरूप सेवा अवधि में 02 वर्ष के पश्चात वृद्धि हेतु प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(7) नियुक्ति का स्वरूप :– यह पूर्णता अस्थाई एवं गैर–सरकारी स्वरूप की नियुक्ति होगी, जो कि मानदेय के आधार पर एवं संविदा पर एक निश्चित अवधि (02 वर्ष) के लिए होगी, जिसे कि नियोजक द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताएँ समाप्त किया जा सकेगा।

(8) परामर्शी श्रेणी–II के लिए मानदेय की अधिकतम दरें :– मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 1101/2022/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.05.2022 द्वारा मानदेय की अधिकतम दर रूपये 12.50 लाख प्रतिवर्ष होगी। एक वर्ष से कम अवधि के लिए अधिकतम दरें अनुपातिक आधार पर निर्धारित की जा सकेंगी एवं अनुमातिक गणना के लिए एक माह को 25 कार्य दिवस माना जा सकेगा।

(9) परामर्शदाता/परामर्शदाता संस्था के पात्रता एवं अर्हता मापदण्ड :– विभाग द्वारा चयनित किये जाने वाले परामर्शदाता एवं परामर्शदाता संस्था के पात्रता एवं अर्हता मापदण्ड निम्नानुसार है –

i. आवेदक परामर्शी मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो/आवेदक परामर्शी संस्था मध्यप्रदेश में पंजीकृत हो।
ii. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – डिप्लोमा/स्नातक– प्रथम श्रेणी
iii. आवेदक परामर्शी/आवेदक परामर्शी संस्था को रोजगार/स्वरोजगार से संबंधित शासकीय विभागों में कार्य करने का न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।

iv. भाषा ज्ञान – लेखन समझ एवं वार्तालाप हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है।
v. आयु सीमा – न्यूनतम 50 वर्ष एवं अधिकतम – 70 वर्ष।
vi. यदि आवेदक सेवा निवृत्त शासकीय कर्मी है तो उसे न्यूनतम द्वितीय श्रेणी का शासकीय सेवक होना अनिवार्य है।
vii. किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/विश्वविद्यालय/सार्वजनिक उपक्रम में परामर्शी का कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक/आवेदक संस्था को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(10) संविदा के आधार पर परामर्शी श्रेणी–II के लिए आवश्यक शर्तें :–

i. चयनित परामर्शी/परामर्शी संस्था को मासिक दर पर निर्धारित अवधि के लिए रखा जाएगा।
ii. विभागाध्यक्ष स्तर से परामर्शी/परामर्शी संस्था के कार्य का न्यूनतम वर्ष में एक बार मूल्यांकन किया जाएगा एवं किसी भी स्तर पर कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के संबंधित परामर्शी/परामर्शी संस्था की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा।
iii. नियुक्त परामर्शी/परामर्शी संस्था न्यूनतम एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से पृथक हो सकेगी।
iv. नियुक्त परामर्शी/परामर्शी संस्था को निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई राशि एवं सुविधाएँ देय नहीं होगी।
v. चयनित परामर्शी/परामर्शी संस्था की नियुक्ति पूर्णता अस्थाई मानदेय के आधार पर संविदा आधारित एक निश्चित स्वीकृत अवधि के लिए ही होगी।
vi. अस्थाई नियुक्ति अवधि में कार्य व्यवहार, कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से इस नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा।
vii. परामर्शी अथवा परामर्शी संस्था के चयन हेतु न्यूनतम 03 तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव होना अनिवार्य है।

(11) आवेदन प्रकिया :–

i. परामर्शी/परामर्शी संस्था के चयन हेतु समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एवं विभागीय पोर्टल पर विस्तृत आर.एफ.पी. का प्रकाशन कराया जाएगा। आवेदक परामर्शी/परामर्शी संस्था को आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम 21 दिवस प्राप्त होंगे।
ii. आवेदक परामर्शी/परामर्शी संस्था को तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के दो लिफाफे पृथक–पृथक तैयार करने होंगे।
iii. आर.एफ.पी. के संलग्नक 01 अनुसार तकनीकी बिड तैयार की जाना है।
iv. आर.एफ.पी. के संलग्नक 02 अनुसार वित्तीय बिड तैयार की जाना है।
v. आर.एफ.पी. की कंडिका 08 में परामर्शी श्रेणी–II के लिए उल्लेखित अधिकतम वार्षिक मानदेय रूपये 12.50 लाख की सीमा में ही परामर्शी/परामर्शी संस्था को अपने कार्य की प्रस्तावित दरें प्रस्तुत करना है।
vi. तकनीकी एवं वित्तीय बिड के दोनों लिफाफे निर्धारित आवेदन शुल्क राशि के डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन की अंतिम दिनांक तक नियत समय से पूर्व आर.एफ.पी. जारी कर्ता कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य होगा।
vii. विलम्ब से प्राप्त अपूर्ण, कटि–फटी अवस्था में प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं होगा।

(12) साधिकार चयन समिति :– परामर्शी श्रेणी–II के चयन हेतु निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से परामर्शी/परामर्शी संस्था का चयन किया जाएगा–

i. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग – अध्यक्ष

ii. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश –सदस्य

iii. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग –सदस्य

iv. संयुक्त संचालक/उप संचालक, कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश – सदस्य सचिव

(13) चयन पद्धति :– परामर्शी/परामर्शी संस्था का चयन गुणवत्ता एवं मूल्य अर्धारित चयन पद्धति से किया जाएगा जिसके अंतर्गत तकनीकी प्रस्ताव को 70 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रस्ताव को 30 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा।

(14) आवेदन शुल्क :– आवेदक परामर्शी/परामर्शी संस्था को रूपये 5000/– चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कर रसिद संलग्न करना होगी। आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

(15) तकनीकी मूल्यांकन के मापदण्ड :–

क.	निर्धारित मापदण्ड	निर्धारित अधिकतम अंक
01	शैक्षणिक योग्यता –	
	डिप्लोमा/ स्नातक	10
	स्नात्कोत्तर उपाधि	15
	पी.एच.डी. अथवा 05 शोध पत्र	20
02	शासकीय कार्य अनुभव –	
	न्यूनतम 10 वर्ष	10
	न्यूनतम 20 वर्ष	20
	20 वर्ष से अधिक	30
03	भाषा ज्ञान –	
	हिन्दी – लेखन समझ वार्तालाप	10
	अंग्रेजी – लेखन समझ वार्तालाप	10
	हिन्दी एवं अंग्रेजी – लेखन समझ वार्तालाप	20
04	परामर्शी के रूप में पूर्व का शासकीय अनुभव	10
05	साक्षात्कार	20
	कुल योग :–	**100**

(16) तकनीक स्कोर का मूल्यांकन नॉर्मलाईजेशन :– पात्रता मापदण्ड पूर्ण करने वाले परामर्शी/परामर्शी संस्था के तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन उपरोक्त मूल्यांकन मापदण्ड के आधार पर

चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं प्रत्येक आवेदक को मूल्यांकन उपरांत प्राप्त पृथक–पृथक प्राप्तांकों का नॉर्मलाईजेशन निम्नलिखित गणितिय सूत्र द्वारा किया जाएगा–

बिडर "ए" का नॉर्मलाईज्ड तकनीकी स्कोर = 100 X $\frac{\text{ए बिडर द्वारा अर्जित अंक}}{\text{बिडर द्वारा अर्जित अधिकतम अंक}}$

(17) वित्तीय बिड का मूल्यांकन एवं स्कोर का नॉर्मलाईजेशन :– आवेदक परामर्शी/परामर्शी संस्था द्वारा वित्तीय बिड में उल्लेखित दर के आधार पर वित्तीय बिड प्रस्तुतकर्ता संस्थाओं का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात निम्नलिखित गणितिय सूत्र द्वारा प्रत्येक बिड के वित्तीय स्कोर का नॉर्मलाईजेशन किया जाएगा।

बिडर "ए" का नॉर्मलाईज्ड वित्तीय स्कोर = 100 X $\frac{\text{बिडर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर}}{\text{ए बिडर द्वारा प्रस्तुत दर}}$

(18) गुणवत्ता एवं मूल्य अर्धारित चयन पद्धति द्वारा अंतिम स्कोर की गणना :– विभिन्न आवेदक परामर्शी/परामर्शी संस्था द्वारा प्रस्तुत तकनीकी एवं वित्तीय बिड के नॉर्मलाईज्ड स्कोर का आर.एफ.पी. की कंडिका 13 के अनुसार वेटेज दिया जाकर पृथक–पृथक अंतिम स्कोर की गणना निम्नलिखित गणितिय सूत्र से की जाएगी –

आवेदक ए का अंतिम स्कोर = (0.70 X नॉर्मलाईज्ड तकनीकी स्कोर) + (0.30 X नॉर्मलाईज्ड वित्तीय स्कोर)

(19) परामर्शी/परामर्शी संस्था का अंतिम चयन :– अधिकतम अंतिम स्कोर धारित परामर्शी/परामर्शी संस्था का चयन किया जाएगा।